87 मरीजों को घर जाकर दी मेडिसिन किट

रतलाम | होम आइसोलेशन में रहकर कोरोना का इलाज करा रहे शहर के 87 मरीजों को नगर निगम अमले ने घर जाकर मेडिसिन किट दी। ई-दक्ष केंद्र से 106 की सूची मिली थी। 87 मरीज घर पर मिल गए, जबकि 4 अस्पताल में भर्ती थे। 3 नगरीय सीमा क्षेत्र से बाहर के निकले। 8 को पहले ही किट मिल चुकी थी। 9 के पते और मोबाइल नंबर गलत निकले।

भास्कर 15-5-21

ई-भास्कर
15-5-2021

76 मरीजों तथा मरीज के परिजनों को 116 मेडिकल किट का वितरण

रतलाम। कोविड-19 संक्रमण में होम आईसोलेशन के मरीजो को मेडिसिन किट व स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों की प्रति की होम डिलेवरी किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा वार्ड वार गठित दलों द्वारा मरीजो के घर जाकर मेडिकल किट प्रदान की।

ई-दक्ष केन्द्र रतलाम से 13 मई गुरूवार को होम आईसोलेशन के मरीजो की सूची स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह ने प्राप्त कर जिला अस्पताल के स्टोर से 76 मेडिसिन किट प्राप्त कर निगम के अग्निशमन विभाग में उपलब्ध कराई व कन्ट्रोल रूम से 1 मेडिसिन किट। अग्निशमन विभाग से वार्ड वार गठित दलो वितरण हेतु उपलब्ध कराई गई।

वार्डवार गठित दलो द्वारा होम आईसोलेशन के मरीजो के घर-घर जाकर मेडिकल किट का वितरण किया गया जिसके तहत सूची अनुसार 68 मरीजो को मेडिकल किट का वितरण घर पर किया गया। 4 मरीज उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती होना पाया गया, 3 मरीज नगरीय सीमा क्षेत्र के बाहर से होना पाया गया व 2 मरीजो को पूर्व से ही मेडिसिन किट प्राप्त होना पाया गया। तेजस्विता

तेज एक्सप्रेस
14-5-2021

धारा 144 के तहत जारी किए आदेश

25 मई तक कोरोना कर्फ्यू में सुबह 11 से 5 बजे तक घर-घर बेच सकेंगे सब्जी

प्रशासन ने फिर जारी किए दिशा निर्देश

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. जिला स्तरीय संकट समूह की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुमार पुरूषोत्तम ने धारा 144 के तहत 17 मई की सुबह 6 बजे से 25 मई को सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। इस अवधि में सभी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगें तथा अपने घरो में ही रहे। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, रेलवे, बैंक इत्यादि विभाग इससे मुक्त रहेंगे।

इनके अतिरिक्त समस्त मेडिकल एवं आयुर्वेदिक दुकाने सुबह 10 से सायं 4 बजे तक खुले रहेंगे। शासकीय चिकित्सालय एवं निजी अस्पतालों के 100 मीटर (निकट) की परिधी की मेडिकल दुकानें 24 घण्टें खुली रखने की अनुमति रहेगी। ग्रामीण क्षेत्र की समस्त मेडिकल दुकानें खुली रह सकेंगी। फल विक्रेताओं को होम डिलीवरी की अनुमति निर्धारित संख्या में चार पहिया वाहन से सप्ताह में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 से रात 8 बजे तक रहेगी। शहर में 6 वाहन, जावरा में तीन व अन्य नगरीय निकायों के लिए दो-दो चार पहिया वाहनों की अनुमति रहेगी। दो पहिया वाहन से फल वितरण की अनुमति नहीं रहेगी।

सब्जी भी तीन दिन

शहरी क्षेत्र में सब्जी विक्रेताओं को होम डिलीवरी की अनुमति निर्धारित संख्या में सुबह 11 से शाम 5 बजे तक रहेगी। सभी थाना क्षेत्रों में दो-दो चार पहिया वाहन की अनुमति रहेगी। फल और सब्जी विक्रेता वाहन की सूची संबंधित एसडीएम निर्धारित करेंगे। किराना दुकान खोली जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। सप्ताह में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक केवल होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। सप्ताह में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे तक लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति रहेगी।

दूध वितरण को छूट

घर-घर जाकर दूध वितरण करने वाले दूध विक्रेता तथा दूध पार्लर से पैकेट आपूर्ति के लिए कोरोना कर्फ्यू अवधि में सुबह 6 से 9 बजे तक और शाम को 4 से 7 बजे तक वितरण करने की अनुमति रहेगी। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के प्री-रजिस्टर्ड एवं 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों को कोविड -19 टीकाकरण के लिए नजदीकी केन्द्र पर आने-जाने की अनुमति रहेगी। इस दौरान केंद्र खोलने व नागरिकों को आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी केंद्र पर जा सकेंगे। गैस एजेंसी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का घर-घर प्रदाय चालू रहेगा लेकिन ग्राहक आउटलेट पर नहीं जा सकेंगे।

खुले रहेंगे उद्योग

जिले में औद्योगिक इकाई पूर्वानुसार खुली रहेगी, किंतु यहां कार्यरत कर्मचारियों, श्रमिकों आदि को संबंधित एसडीएम कार्यालय से पास प्राप्त करने होगें। उद्योग संचालक द्वारा कार्यरत श्रमिकों को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, साथ ही हाथ धोने की समुचित व्यवस्था की जाना अनिवार्य होगा। शहरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन गतिविधियां शासकीय कार्य को छोड़कर अन्य सभी निजी निर्माण कार्य कोरोना कर्फ्यूअवधि तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

खुले रहेंगे पेट्रोल पंप

रबी उपार्जन के लिए संचालित केंद्रों पर जिन किसानों को प्रेषित मैसेज में उल्लेखित दिनांक से अधिकतम 7 दिवस की अवधि में कृषक की उपज की पूर्ण तौल कराने एवं बिल जारी करने के लिए आने-जाने की अनुमति रहेगी। उपार्जन केन्द्रों पर लगे सभी कर्मचारी आईडी कार्ड लेकर आए। बैंक अपने निर्धारित समय पर खुले रहेंगे। जिले के शहरी क्षेत्र से किसी भी व्यक्ति को कृषि कार्य करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा। पेट्रोल पम्प खोलने की अनुमति रहेगी। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर आदि को केवल होम डिलेवरी कार्य जैसे रिपेयर एवं सर्विस करने की सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक छूट प्रदान की जाती है। इसके लिए संबंधित को एसडीएम कार्यालय से पास प्राप्त करने होगें तथा उन्हें कोविड -19 की जांच करवाकर रिपोर्ट अपने साथ रखना अनिवार्य होगा।

खुली रहेगी राशन दुकानें

जिले में संचालित की जाने वाले सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें अपने निर्धारित समय अनुसार सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सामग्री वितरण के लिए खुली रहेगी। जल सप्लाय के लिए आरओ वाटर की होम डिलेवरी की अनुमति रहेगी। सप्लाई में लगे कर्मचारियों को कोरोना जांच रिपोर्ट साथ में लाना अनिवार्य होगा। जिले में विवाह समारोह कोरोना कर्फ्यू अवधि तक पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। अंतिम संस्कार (शवयात्रा) कार्यक्रम के दौरान अधिकतम 10 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। उठावना एवं पगड़ी कार्यक्रम कोरोना कर्फ्यू अवधि तक पूर्णतः प्रतिबंधित है। न्यूज पेपर वितरण के लिए सुबह 6 से 9 बजे तक अनुमति रहेगी।

15-5-2021

र मॉनिटरिंग ने बढ़ाए संक्रमित, सर्दी-बुखार की दवाई बिक्री का रिकॉर्ड नहीं रखा

ट से पहली लहर में 72 दिन सैंपलिंग घटा कर 0 पॉजिटिव ले आए

में सीटी स्कैन की मॉनिटरिंग नहीं, अवैध रूप से कोरोना का इलाज

टिव व 259 मौतें, अप्रैल में 102 ने तोड़ा दम, गांव-गांव में कोरोना

क्रमित बढ़ना शुरू हो गए थे लेकिन प्रशासन पहली लहर से ही लापरवाह रहा। जनवरी से सैंपलिंग घटा दी और फरवरी में लेशन की मॉनिटरिंग कमजोर थी, लॉकडाउन भी सख्त नहीं रहा।. नतीजा ये रहा कि सिर्फ दो महीने में रतलाम में 11,076 है... सीएम इस वजह से प्रशासनिक सर्जरी कर चुके हैं। पढ़िए प्रशासनिक लापरवाही की रिपोर्ट...

आईसीयू के फुल हैं	• रोज औसतन 13 लोग दम तोड़ रहे हैं। रतलाम के 5 से 6 लोगों की मृत्यु हो रही है।

सख्ती से खंडवा में संक्रमण दर 3.55%... भिंड में 4.8%....

खंडवा

शपथ पत्र : जो भी सैंपल देने आता है, शपथ पत्र भरवाते हैं, आधार नंबर भी लेते हैं ताकि कोई मिसिंग ना हो।

होम क्वारेंटाइन : निगेटिव सैंपल पर भी 10 दिन के लिए होम क्वारेंटाइन किया जा रहा।

कोविड सेंटर : सभी ब्लॉक हरसूद, खालवा, मूंदी, बंदावा आदि में 50-50 बेड के कोविड सेंटर खोल दिए।

निगरानी : निगरानी के लिए तीन टीमें बनी हुई हैं, इनमें प्रशासन और दो स्वास्थ्य विभाग की टीम है।

निगरानी : अब एचआरसीटी में संक्रमण दिखने पर भी होम क्वारेंटाइन कर रहे हैं।

भिंड

संक्रमण दर : 27 अप्रैल से 3 मई के दौरान यहां संक्रमण दर 9.10% थी, जबकि, इस सप्ताह 4.8 हो गई।

होम आइसोलेशन : मरीज पर विशेष फोकस, स्वास्थ्य के अलावा पुलिस व राजस्व की टीमें बनीं।

निगरानी : सैंपल के बाद निगरानी शुरू, या तो आइसोलेशन वार्ड में भेज रहे, या शपथ पत्र भरवा रहे।

स्क्रीनिंग : दिल्ली से आने वाली बसों को रोका, एक सप्ताह में ऐसी तीन बसों पर कार्रवाई भी हुई।

कोविड टेस्ट : ग्रामीणों का इलाज करने वाले झोलाछाप डॉक्टरों का अनिवार्य कोविड टेस्ट किया गया।

सैंपल छह गुना बढ़ाए जबकि संक्रमित 35 गुना बढ़े

फरवरी में 9 दिन में ही तीन बार ऐसे मौके आए जब एक भी पॉजिटिव नहीं था। 3, 5 और 11 फरवरी को 0 पॉजिटिव आए थे। फरवरी का सैंपलिंग औसत 200 प्रतिदिन था। 11 फरवरी तक मेडिकल कॉलेज में 9 पॉजिटिव हीं बचे थे। इसमें 3 फरवरी को 162, 5 फरवरी को 173 और 11 फरवरी को 307 सैंपल हुए थे। इस दौरान अन्य दिनों में 10 के आसपास ही पॉजिटिव आ रहे थे। अब 300 से ज्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं। अभी 1200 से ज्यादा सैंपल ले रहे हैं। यानी सैंपल छह गुना बढ़ाए गए जबकि संक्रमित 35 गुना बढ़े।

दर 25% से ज्यादा, फरवरी में 2-3% ही थी

9%	32.72%	27.13%	26.37%	13.29 %	19.37 %	17.83 %
	सैंपल 1100	सैंपल 1290	सैंपल 1270	सैंपल 2303	सैंपल 1538	सैंपल 1514
व	पॉजिटिव 360	पॉजिटिव 350	पॉजिटिव 335	पॉजिटिव 305	पॉजिटिव 298	पॉजिटिव 270
	9	10	11	12	13	14
28.01%)			(कुल संक्रमण दर - 18.23% अब तक)			

तीन कलेक्टर... अलग-अलग नियम...

1. रुचिका चौहान (विदाई - 19 अगस्त 2020)

रुचिका चौहान

- गाइडलाइन के साथ खुद के बनाए नियम से प्रभावित किया। सब्जी का घर-घर वितरण, लॉकडाउन का पालन, बिना नाम-पते के सर्दी-खांसी की दवा ना देना।
- कंटेनमेंट पर खास जोर दिया, मोहल्लों में कंटेनमेंट बनाए, मेडिकल कॉलेज में हेल्प डेस्क, कंट्रोल रूम पर विशेष फोकस था। व्यापारी वर्ग का सर्वे करवाया।
- समाज और संस्थाओं को साथ लेकर चली।
- कलेक्टर की जब विदाई हुई तो 672 संक्रमित और 18 मौत हुई थी। रोज इक्का दुक्का ही संक्रमित मिल रहे थे।

2. गोपालचंद्र डाड (विदाई - 7 मई 2021)

गोपालचंद्र डाड

- सबसे बड़ी नाकामी मौतों पर कंट्रोल नहीं करना रही। मौत के मामले में रतलाम प्रदेश के टॉप 5 शहर में शामिल हो गया।
- संस्था और समाज के प्रमुख नाराज दिखे, इनसे कभी मीटिंग नहीं ली।
- दूसरी लहर में न बेड के इंतजाम हुए ना अंचल में इंतजाम कर सके।
- सर्दी-खांसी-बुखार आदि के मरीजों की दवाई और उनका रिकॉर्ड तक मेंटेन नहीं करवाया।
- सब्जी फल के ठेले घूमे, मोहल्ले की दुकानें खुली रहीं।
- जिस दिन कलेक्टर की विदाई हुई, उसके अगले दिन 398 पॉजिटिव थे जो सर्वाधिक थे। इसके बाद संक्रमण कम होने लगा।

3. कुमार पुरुषोत्तम (आगमन - 9 मई 2021)

कुमार पुरुषोत्तम

- 9 मई से रतलाम में संक्रमण कम हो रहा, कलेक्टर जिले की मॉनिटरिंग में जुटे।
- आयुष्मान कार्ड बनवाने वालों को छूट देने, कर जमा करना बंद करवा चुके हैं।
- इलाज पर विशेष फोकस है - मेडिकल कॉलेज से किसी को नहीं लौटाने का कह चुके हैं।
- शहर का सघन सर्वेक्षण करवा रहे, ताकि प्राथमिक तौर पर इलाज मिले।
- गांवों को सील करने के साथ ही अलग-अलग मोहल्लों में माइक्रो कंटेनमेंट बनवा रहे हैं।

जिले में लगातार बढ़ रही संक्रमित मरीजों की संख्या

270 नए पाजिटिव और चार की मौत

रतलाम। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। शहर के साथ अंचल के गांवों से भी संख्या में नए पाजिटिव केस सामने आ रहे हैं। इससे शासन-प्रशासन के साथ जिलेवासियों की चिंतित है। मई माह के 14वें दिन शुक्रवार को 270 नए पाजिटिव केस सामने आए। चार की मौत हुई। 277 मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया। अब एक्टिव मरीजों की संख्या 2721 है। जिले में अब तक 15600 पाजिटिव केस सामने आ चुके हैं, वहीं 11620 मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया जा चुका है। मौत का कुल आंकड़ा 259 पर पहुंच गया है।

मेडिकल कालेज में 65 नए मरीज भर्ती : शासकीय मेडिकल में शुक्रवार को 65 नए मरीज भर्ती हुए। डीन डा. जितेंद्र गुप्ता ने बताया कि मेडिकल कॉलेज हास्पिटल में कुल बिस्तरों की संख्या 550, आइसीयू बेड 56, एचडीयू में 172 बेड, आक्सीजन बेड 180 सभी फुल हैं। नान आक्सीजन बेड 142 में से 76 पर पेशेंट भर्ती हैं। कुल 484 पेशेंट हास्पिटल में भर्ती हैं। इनमें 344 पाजिटिव तथा शेष सस्पेक्टेड या आक्सीजन लेवल वाले हैं। हास्पिटल में रिक्त बेड 66 हैं। रेमडेसिविर की स्थिति अनुसार आज तक टोटल रिसीव्ड 5800, डिस्ट्रीब्यूटेड 1293, कन्ज्यूम्ड 4502, करंट स्टाक पांच है। उन्होंने बताया कि मरीजों व उनके स्वजनों को सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए किए प्रयासों में निरंतर वृद्धि की जा रही है।

पाटीदार समाज ने भेंट किए 14 कूलर : पाटीदार समाज न्यास द्वारा शासकीय मेडिकल कालेज के डीन डा. जितेंद्र गुप्ता को हास्पिटल में भर्ती मरीजों के लिए 14 कूलर भेंट किए गए। इस पर डीन ने समाजजनों को धन्यवाद ज्ञापित किया। न्यास के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।

मेडिकल कालेज के डीन डा. जितेंद्र गुप्ता को कूलर भेंट करते हुए न्यास पदाधिकारी। ●नईदुनिया

15-5-2021

पॉजिटिव मरीजों की संख्या 15,330 पहुंची,

रतलाम ● जिले में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है, भले ही सरकार दावा करे कि कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण हो रहा है, लेकिन ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा है। बुधवार तक जिले में 15 हजार 330 संक्रमित मरीज हो चुके है और मृतकों का आंकड़ा 255 तक पहुंच गया है। अभी भी 3 हजार 732 मरीज उपचारार्थ भर्ती है। गुरुवार को किए गए कोरोना की जांच रिपोर्ट में 298 महिला व पुरुषों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इनमें रतलाम सिटी में 90 कोरोना पॉजिटिव, जावरा में 34 कोरोना पॉजिटिव, पिपलोदा में 22 कोरोना पॉजिटिव मिले 14-5-21

14-5-21

15-5-2021

कंटेनमेंट क्षेत्र बनाने को लेकर कई लोगों में नाराजगी

केवल संक्रमित मरीजों के घरों को ही दायरे में लेना चाहिए

अधिकारी नहीं, वार्ड समितियां बनाए कंटेनमेंट नीति

सब निर्णय अधिकारी ही लेंगे या जनता की राय से भी होंगे निर्णय

रतलाम ● शरद जोशी

शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में तेजी से संक्रमण फैल रहा है। हालांकि 3-4 दिनों में शहरी इलाकों में आंकड़ों में कमी आई है। प्रशासन ने पिछले एक माह तक तो ध्यान नहीं दिया और अब नवागत कलेक्टर ने आते ही शहर और ग्रामीण इलाकों में कंटेनमेंट बनाने के निर्देश दिए है। संबंधित अधिकारी अब उन इलाकों में कंटेनमेंट बना रहे है, जहां संक्रमित मरीज निकले है।

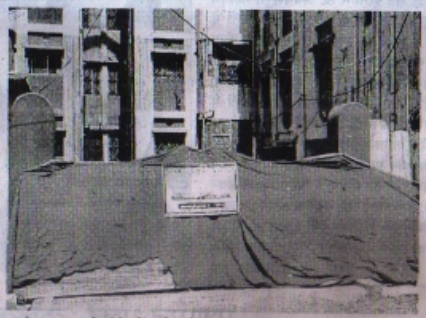

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए संक्रमित मरीजों पर अंकुश लगाने के लिए कंटेनमेंट बनाया जाना चाहिए। पूर्व कलेक्टर रुचिका चौहान ने इसमें दिलचस्पी लेते हुए कंटेनमेंट उन घरों को बनाए थे जहां पर संक्रमित मरीज पाए गए। बाद में गोपालचंद डाड कलेक्टर थे उनके समय संक्रमित मरीजों के मकानों को कंटेनमेंट में नहीं लिया, लेकिन अब पुनः कंटेनमेंट का दौर शुरू हो गया है। लोगों का कहना है कि जिन घरों में संक्रमित मरीज पाए जा रहे है उनके घरों को कंटेनमेंट क्षेत्र में लिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कि वे उसके बजाए आसपास के मकानों को भी कंटेनमेंट के झोन में लेते हुए संक्रमित के मकान को उसके दायरे में ले लिया है, इससे संक्रमित मरीज उस झोन में घूमेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना संक्रमण और बढ़ेगा। होना यह चाहिए कि जिस घर में संक्रमित मरीज पाए जा रहे है उस घर को कंटेनमेंट बनाया जाना चाहिए।

आज धावरिया बाजार क्षेत्र में बाबा साहेब मंदिर के निकट कंटेनमेंट झोन बनाया गया जिसमें वे लोग भी चपेट में आ गए जो संक्रमित नहीं है और मजदूरी का कार्य कर अपना जीवन यापन कर रहे है। अचानक यह विपदा आने से सब हतप्रभ है। उन्होंने अधिकारियों से कहा भी कि उनके मकान को कंटेनमेंट क्षेत्र में नहीं लिया जाए, जिस बाड़े में मरीज पाए गए है उसे सील किया जाए। लेकिन अधिकारियों ने उनकी नहीं सुनी और ना ही मानवीय दृष्टिकोण रखा। इससे लगता है कि अधिकारीगण बिना जांच पड़ताल किए ही कंटेनमेंट बना रहे है।

वार्ड स्तर पर बनने वाली आपदा कमेटी और नगर की आपदा कमेटी यह तय करें कि कंटेनमेंट झोन किस प्रकार बनाया जाए ताकि लोगों को परेशानी न हो। लगभग एक माह से ऊपर रतलाम में तालाबंदी है, लोगों का धंधापानी वैसे ही चौपट हो गया है, जो रोज कमाते-रोज खाते है उनकी चिंता न तो प्रशासन को है और ना ही जननेताओं को। केवल बैठकें करके निर्णय ले लेते है और वह लागू हो जाता है। इन बैठकों में जनता का पक्ष रखने वाले नेता कम है और जो सुझाव देते है वह मान्य होते है वह भी नहीं कहा जा सकता। चूंकि जिले के कलेक्टर नए आए है उन्हें रतलाम की भौगोलिक स्थिति भी पता नहीं है और ना उन्हें यह पूरी तरह से जानकारी है कि किस प्रकार से कंटेनमेंट बनाए जा रहे है। पूर्व में कलेक्टर रुचिका चौहान स्वयं उस इलाके का निरीक्षण करती थी जहां पर कंटेनमेंट बनाए जा रहे है।

लोगों में हताशा और निराशा का माहौल-इसी प्रकार शहर के कई इलाकों में बनाए जा रहे कंटेनमेंट को लेकर लोगों में हताशा व निराशा का माहौल है कि वह किसके पास जाए और किससे शिकायत करें। अधिकारी सुनते नहीं है, उन्होंने जो कर दिया वह अंतिम है। जनप्रतिनिधियों को चाहिए वह इस बारे में एक नीति बनाए ताकि कोई अनावश्यक रूप से परेशान न हो। संक्रमित लोगों को नियंत्रित करने के लिए कंटेनमेंट बनाना जायज है, लेकिन उसकी आड़ में ऐसे लोग परेशान न हो जो लोग पहले ही बेरोजगारी का शिकार है या अन्य कारणों से परेशान है।

बनाए गए कंटेनमेंट दोषपूर्ण

पत्रकार रितेश मेहता ने कंटेनमेंट बनाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बताया कि विभिन्न स्थानों पर बनाए गए कंटेनमेंट दोषपूर्ण है। इसी प्रकार अभिलाषा अपार्टमेंट, वेद व्यास कॉलोनी में लगभग 400 से ज्यादा लोग निवासरत है वहां कंटेनमेंट बना दिया गया है, जबकि वहां पर मात्र एक व्यक्ति और 14 साल की लड़की पॉजिटिव है, उस एक व्यक्ति के घर को कंटेनमेंट ... क नहीं किया गया है, क्या वह घर से बाहर नहीं निकलेगा अन्य व्यक्तियों को संक्रमित नहीं कर सकता है, यह जिला प्रशासन की अनदेखी से सकती है, इस स्थिति में जब एसडीएम अभिषेक गहलोत से बात हुई तो उन्होंने बताया कि अभी हम बड़े कंटेनमेंट कर रहे है छोटे कंटेनमेंट का प्रावधान नहीं है।

घर को कंटेनमेंट किया जाए

श्री मेहता का मानना है कि यदि एक घर को कंटेनमेंट किया जाए तो वह व्यक्ति व उसका परिवार घर से बाहर नहीं निकलता है तो संक्रमण भी वहीं रुक सकता है, 400 लोगों को बंद कर जिला प्रशासन क्या दिखाना चाहता है। बिल्डिंग के अंदर तो सभी लोग आपस में खुले है एक-दूसरे से मिलेंगे भी और एक-दूसरे के साथ भी उठेंगे-बैठेंगे। इस प्रकार से कोरोना की चेन टूट सकती है, यह समझ से परे है? शहर के गांधीनगर की एक गली में कई लोग संक्रमित हुए किंतु जिला प्रशासन ने अभी तक वहां पर किसी प्रकार का कोई कंटेनमेंट नहीं किया है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है यह क्या मजबूरी है प्रशासन की यह तो स्वयं उच्च अधिकारी ही बता सकते हैं।

इस प्रकार कंटेनमेंट बनाने के निर्देश दिए थे कलेक्टर ने

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर रतलाम नगरीय क्षेत्र में जिन इलाकों में अधिक संक्रमित पाए जा रहे है, उन क्षेत्रों में माइक्रो कंटेनमेंट बनाए। कंटेनमेंट क्षेत्र में 4 संक्रमित पाए जाने पर 12 घरों का, 2 संक्रमित पाए जाने पर 6 घरों को कंटेनमेंट बनाया। ओल्ड ग्लोबल सिटी में दो संक्रमित मरीज पाए जाने पर 18 घरों का कंटेनमेंट बनाया गया है। इंद्रलोक नगर (विष्णु पुरी) में 4 संक्रमित पाए जाने पर 34 घरों का कंटेनमेंट तथा इंद्रलोक नगर में दो मरीज पाए जाने पर 8 घरों का कंटेनमेंट क्षेत्र बनाया गया है।

मास्क नहीं लगाने व गंदगी करने पर निगम टीम ने 2 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार कोविड-19 (नोवल कोरोना वायरस) के संक्रमण को रोकने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में मास्क नहीं लगाने व बेवजह घूमने वाले व्यक्तियों पर नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही गंदगी करने वालो पर भी जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत दो बत्ती क्षेत्र में फल विक्रेता द्वारा गंदगी करने पर 250 व नगर निगम तिराहे पर बगैर मास्क के घूमने पर एक व्यक्ति पर 100 रूपये का जुर्माना किया गया।

सैलाना बस स्टैंड पर पानी की पाइप लाइन टूटी, पानी की बर्बादी शुरू

रतलाम | सैलाना बस स्टैंड पर पानी की पाइप लाइन लीकेज हो गई। मरम्मत के लिए निगम ने खुदाई भी की लेकिन मरम्मत नहीं हो पाई। शुक्रवार को जब पानी की सप्लाई हुई तो दिनभर पानी बहता रहा।

15-5-2021

कबाड़ी दिनेश-लक्ष्मीनारायण पर 5000 का जुर्माना

रतलाम । हाट रोड़ वेदव्यास कालोनी क्षेत्र में दिनेश पिता लक्ष्मीनारायण सोलंकी कबाड़ी द्वारा कबाड़ के सामान से अतिक्रमण करने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह द्वारा संबंधित पर 5000 रुपये का जुर्माना किया गया। इसके अलावा दो बत्ती, टीआईटी रोड़ क्षेत्र में 5 फुटकर सब्जी व फल विक्रेताओं द्वारा गंदगी करने पर जुर्माना कर कुल राशि रुपये 1200/- वसूल कर

दुकान खोलकर सामान बेचने, बाहर घूमने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज किए प्रकरण

लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस-प्रशासन ने की सख्ती

दबंग रिपोर्टर ■ रतलाम

कोरोना लोगों की जान के लिए आफत बना हुआ है और चारों ओर हाहाकार जैसी स्थिति होने के बावजूद कई लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। जिला दण्डाधिकारी के निर्देश के बाद पुलिस और प्रशासन की टीमों ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई की है।

पुलिस ने 14 लोगों व प्रतिष्ठानों के खिलाफ धारा 188 उल्लंघन का प्रकरण दर्ज किया जो दुकानों से चोरी छुपे सामान बेच रहे थे। थाना सैलाना अंतर्गत आरोपी शुभम पिता जगदीश सोलंकी निवासी सदर बाजार सैलाना द्वारा कपड़े की दुकान खोल कर लोगों की भीड़ लगाकर कपड़ों का विक्रय करता पाया गया। अन्य आरोपी आली असगर पिता फकरुद्दीन बोहरा निवासी सदर बाजार सैलाना हार्डवेयर की दुकान खोल कर लोगों की भीड़ लगाकर सामान बेच रहा था। शुभम पिता महेंद्र जैन निवासी पैलेस चौराहा सैलाना कपड़े की दुकान खोल कर बेच रहा था। जगदीश पिता भागीरथ सोलंकी निवासी सदर बाजार सैलाना भी कपड़े की दुकान खोल कर बेच रहा था। महेंद्र पिता शांतिलाल जैन निवासी पैलेस चौराहा सैलाना कपड़े की दुकान खोल कर बेच रहा था। सैलाना अंतर्गत आरोपी किशोर पिता देवी दास बैरागी निवासी जूनावास थाना सैलाना भी किराना की दुकान खोल कर लोगों की भीड़ लगाकर विक्रय कर रहा था। सैलाना अंतर्गत आरोपी आकाश पिता वर्धमान जैन निवासी सदर बाजार थाना सैलाना, आरोपी रामलाल फारसी निवासी भीलों की खेड़ी थाना द्वारा, आरोपी गिरधारी लाल डामोर निवासी भीलों की खेड़ी थाना सैलाना द्वारा विक्रय करने पर कार्रवाई हुई।

रतलाम में इन पर हुई कार्रवाई

थाना माणक चौक अंतर्गत आरोपी अब्दुल गफ्फार पिता अब्दुल सत्तार उम्र उम्र 50 साल निवासी 20 कुर्सी मंडी रतलाम अपने कर्मचारी जफर पिता फारूक कुरेशी उम्र 32 साल निवासी कुरेशी मंडी हाउस रोड रतलाम तथा तुलसीराम पिता हरी राम प्रजापत उम्र 40 साल निवासी ओसवाल नगर रतलाम दुकान का नाम सरकार मटन शॉप हाट रोड रतलाम अपनी दुकान पर लोगों की भीड़ लगाकर मटन का विक्रय करते हुए पाया गया। आरोपी सुमित पिता नितेश राठौर उम्र 21 साल निवासी 135 लक्कड़पीठा रतलाम दुकान का नाम राठौर जूस सेंटर अपनी दुकान खोल कर लोगों की भीड़ एकत्रित कर लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स एवं जूस बेचते हुए पाया गया। दीपक पिता बाबूलाल सुराणा उम्र 30 साल निवासी राम भवन के पीछे मराठों का वास रतलाम क्षेत्र में घूम फिर कर समोसे कचोरी बेचते हुए पाया गया। सुरेश पिता गेंदालाल राठौर उम्र 30 साल निवासी लक्कड़पीठा रोड दुकान का नाम राठौर जूस सेंटर लक्कड़ पीठा रोड अपनी दुकान खोल कर लोगों की भीड़ एकत्रित कर कोल्ड्रिंक्स एवं जूस बेचते हुए पाया गया। आरोपी भूपेंद्र पिता मोहनलाल पालीवाल उम्र 36 साल निवासी 3 बटा 4 तो खाना गौशाला रोड रतलाम माणक चौक क्षेत्र में घूम फिर कर कचोरी बेचते हुए पाया गया जिसपर थाना माणक चौक में अपराध धारा 188 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

बाहर बिना मास्क घूमते लोगों पर हुई कार्रवाई

लॉकडाउन मे बिना किसी वजह बाहर घूमने वाले व्यक्तिओ के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 36 व्यक्तिओ कोगिरफ्तार किया जाकर अस्थाई जेल मे निरुद्ध किया गया है । मास्क का उपयोग न करने वालो के विरुद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए कुल 136 व्यक्तिओ के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए समन शुल्क वसूला गया है व मास्क का वितरण भी किया गया। मोटर व्हिकल एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए कुल 129 व्यक्तिओ के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई है । साथ बिना कारण बाहर घूमने वालो के वाहनो के खिलाफ कार्यवाही कर वाहनो को जब्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

15-8-2021

कंटेनमेंट से बाहर निकल रहे लोग

रतलाम। अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में कंटेनमेंट निर्माण करने के बाद स्थानीय निवासियों द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्र को बाधित किया जा रहा है। पहले संक्रमित व्यक्ति के घर को ही कंटेनमेंट एरिया बनाया जाता था, लेकिन अब आसपास के घरों व कई स्थानों पर पूरे क्षेत्र को भी कंटेनमेंट में लिया जा रहा है। इसके चलते विवाद भी हो रहे हैं।

शुक्रवार रात करीब आठ बजे सिलावटों का वास क्षेत्र में कंटेनमेंट एरिया बनाने पर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जाहिर की। मौके पर एसडीएम शहर अभिषेक गहलोत से लोगों की तीखी बहस भी हो गई। रहवासियों का कहना था कि संक्रमित व्यक्ति के घर को ही कंटेनमेंट बनाया जाए। पूरे क्षेत्र को बंद करने से परेशानी होगी। समझाइश के बाद लोगों के नहीं मानने पर पुलिस व प्रशासन के अमले को सख्ती करना पड़ी। मालूम हो कि कंटेनमेंट से लोगों के बाहर निकलने की शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने भी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एसडीएम शहर अभिषेक गेहलोत ने बताया कि कंटेनमेंट क्षेत्रों के रहवासी इसका उल्लंघन न करें।

15-8-2021

13 दिन में संक्रमितों का आंकड़ा 4500 के पार

कोरोना का बढ़ता कहर ● अप्रैल 2021 के 30 दिन में आए थे 5291 नए पाजिटिव केस

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना संक्रमण काल में देश-प्रदेश के साथ जिलेवासियों के लिए वर्ष 2021 में अप्रैल के बाद मई का महीना भी खतरनाक साबित हो रहा है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जिले में हर तरफ कहर बरपा रही है। हर दिन अलग-अलग स्थानों से नए पाजिटिव केस सामने आ रहे हैं, वहीं मौत का आंकड़ा भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई लोग अभी भी हास्पिटलों में जीवन व मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। अस्पतालों में लगातार बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, लेकिन फिर भी सरकारी और निजी अस्पतालों में एक भी बेड खाली नहीं है। मई के 13 दिनों में 4500 से अधिक नए पाजिटिव केस सामने आए हैं, वहीं 61 मौत हुई है। जबकि अप्रैल के 30 दिनों में 5291 पाजिटिव केस सामने आए थे और 102 मौत हुई थी।

वर्ष 2021 में अप्रैल के बाद मई का महीना भी भारी पड़ रहा है। संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। अप्रैल 2021 के 30 दिन बीते 12 महीने यानी 365 दिनों पर भारी पड़े थे। अप्रैल 2020 में केवल 14 पाजिटिव केस सामने आए थे और जिले में एक भी मौत नहीं हुई थी। अप्रैल के बाद अब मई का महीना भी जिलेवासियों पर कहर बरपा रहा है। इससे हर वर्ग की चिंता बढ़ी हुई है।

शहर में कोरोना की शुरुआत

उल्लेखनीय है कि शहर में कोरोना का पहला मरीज 11 अप्रैल 2020 को मिला था। मोचीपुरा निवासी जूता व्यापारी के पाजिटिव आते ही हड़कंप मच गया था। ताबड़तोड़ मरीज को पहले मेडिकल कालेज फिर उज्जैन रेफर किया गया था। इसके पहले चार अप्रैल 2020 को इंदौर में रतलाम के हाट रोड निवासी एक 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई थी। मृतक का शव रतलाम लाकर जनाजा निकालते हुए शव दफनाया गया था। बाद में मृतक के कोरोना पाजिटिव होने की बात सामने आई तो लोहार रोड क्षेत्र में करीब तीन किमी हिस्से को कंटेनमेंट क्षेत्र बनाया गया था। आवाजाही बंद कर कंटेनमेंट क्षेत्रों में जरूरी चीजों की सप्लाई नगर निगम के माध्यम से कराई गई थी।

4500 से अधिक नए पाजिटिव केस 13 दिनों में सामने आए है

अप्रैल 2020 से अब तक की स्थिति पर नजर

माह	पाजिटिव मिले	मौत
अप्रैल	14	00
मई	23	01
जून	221	05
जुलाई	241	03
अगस्त	555	10
सितंबर	898	20
अक्टूबर	427	19
नवंबर	1017	12
दिसंबर	786	08
जनवरी	258	02
फरवरी	96	02
मार्च	1098	10
अप्रैल	5291	102
13 मई तक	4518	61

अब तक 141073 सैंपलों की जांच

जिले में कोरोनाकाल में 13 मई तक जांच के लिए 141073 संदिग्ध लोगों के सैंपल लिए गए हैं। इसमें 73249 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई, वहीं 15330 लोगों की रिपोर्ट पाजिटिव आई। 255 की मौत हुई है और 11343 स्वस्थ हुए हैं। लगातार जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। इससे आगामी दिनों में संक्रमण दर घटने की संभावना है। जिला महामारी नियंत्रक डा. गौरव बोरीवाल ने बताया कि संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन-प्रशासन द्वारा हर संभवप्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा आमजन को भी जागरूक होना पड़ेगा। अभी भी कई लोग कोविड-19 गाइड-लाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। वैक्सीन नहीं लगने तक आमजन को मुंह पर अच्छी तरह मास्क लगाने के साथ दो गज की दूरी का पालन करना जरूरी है। हाथों को बार-बार धोते रहें। बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। वर्तमान में कोरोना संक्रमण हर आयु वर्ग के लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है और लापरवाही बरतने पर कुछ ही दिन में मरीज गंभीर स्थिति में पहुंच रहे हैं। सर्दी, खांसी, बुखार आदि लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिकित्सक से परामर्श लें।

मास्क नियमित रूप से पहनें, दो गज की दूरी का पालन करें

ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीनेशन तेजी से शुरू करना चाहिए। बचाव के लिए मास्क लगाकर दो गज की दूरी का पालन करना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र में कोविड-19 नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। इससे संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। **-राकेश पंवर**, सिमलावदा

कोरोना की दूसरी लहर लापरवाही के कारण सबसे ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। इसका मुख्य कारण गाइड लाइन का कड़ाई से पालन नहीं करना है। नियमित रूप से मास्क पहनें और दो गज की दूरी का पालन करें। **-केडी बैरागी**, सेवानिवृत्त अकाउंटेंट, विद्युत वितरण कंपनी, आलोट

दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी। इस नियम का ईमानदारी से पालन करना ही मील का पत्थर साबित होगा। खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी संक्रमण से बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। **-सुभाष मालपानी**, वरिष्ठ मेडिकल व्यवसायी, ढोढर

लापरवाही के कारण संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अगर इसे रोकना है तो मास्क और वैक्सीन का सहारा हमें लेना पड़ेगा। दो गज की दूरी का पालन करना पड़ेगा। महामारी से बचाव के लिए शासन-प्रशासन की गाइड-लाइन का पालन करना भी जरूरी है। **-प्रमोद मेहता**, व्यापारी, आलोट

बचाव ही इसका सर्वश्रेष्ठ उपचार है। हमेशा मास्क लगाकर ही घर से निकलें। हाथ को साबुन से धोते रहें। दो गज की दूरी का कड़ाई से पालन करें। टीके अवश्य लगाएं। संक्रमण के लक्षण दिखने पर तत्काल चिकित्सक को दिखाकर सलाह लें। **-डा. एसएन पोरवाल**, वरिष्ठ चिकित्सक, ढोढर

मुंह पर हमेशा मास्क लगाकर ही घर से निकलें। दो गज की दूरी का ईमानदारी से पालन करें। सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण होने पर तत्काल चिकित्सक से परामर्श लें। सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। टीकाकरण अवश्य कराएं। **-डा. सुरेश पाटीदार**, चिकित्सक, ढोढर

कोरोना आपदा के समय में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरा सभी से निवेदन है कि हमेशा मास्क पहनें। दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। अपने हाथ नियमित रूप से साबुन, पानी से धोएं निडर होकर टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीका लगवाएं। **-संयम ओहरा**, व्यापारी, रत्तागढ़खेड़ा

नई दुनिया
15-5-2021

कैबिनेट में कोरोना पर प्रेजेंटेशन

शिवराज बोले- ब्लैक फंगस की दवाओं की कालाबाजारी रोको

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

मंत्रियों को सक्रिय रहकर समस्याओं के त्वरित समाधान की नसीहत

भोपाल. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि जिन कोरोना मरीजों को ठीक होने के बाद पोस्ट कोविड केयर की आवश्यकता है, उनकी देखभाल कोविड केयर सेंटर में की जाए। इन सेंटर्स पर ऐसे व्यक्तियों का उपचार किया जाएगा। उन्होंने कहा, ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। इस बीमारी के लिए उपयोगी दवा की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए जिला प्रशासन सतर्क रहे। शिवराज ने वर्चुअल कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने कोरोना की मौजूदा स्थिति पर प्रेजेंटेशन दिया। यहां शिवराज ने कहा कि मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना में आ रही शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाए। सकारात्मक वातावरण निर्माण में कोरोना वॉलेंटियर्स की सेवाएं ली जाएं।

मंत्री सक्रिय रहें

शिवराज ने मंत्रियों को सक्रिय रहने का पाठ भी पढ़ाया। उन्होंने कहा, कोरोना मामलों में आ रही शिकायतों पर मंत्री तुरंत कदम उठाएं। जहां भी कोई गड़बड़ी मिलती है, वहां तुरंत समाधान का प्रयास करें। मंत्री अपने-अपने क्षेत्रों में जनता की हर संभव मदद करें। शिवराज ने कहा, अब कम संक्रमण दर वाले जिलों में छूट देने पर विचार कर रहे हैं। इसके बाद यह भी ध्यान रखना है कि संक्रमण वापस ना फैले। मंत्री सक्रिय भूमिका निभाएं।

होम आइसोलेशन पर संवाद जरूरी

शिवराज ने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की निरंतर मॉनीटरिंग हो। उन्हें उपचार के लिए सलाह आदि उपलब्ध कराने की व्यवस्थाएं हों।

गांवों पर ध्यान दो

ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना को नियंत्रित करने के लिए किल कोरोना अभियान का पूरी गंभीरता से संचालन किया जाए।

पत्रिका 15-5-2021

प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव के अध्यक्षता में जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक संपन्न

15-5-21

रतलाम। जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव के अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक मेंसांसद सुधीर गुप्ता, सांसद श्री अनिल फिरोजिया, विधायक चेतन्य काश्यप ऑनलाइन जुड़े थे।

विधायक जावरा डॉ. राजेंद्र पांडे, विधायक रतलाम ग्रामीण दिलीप मकवाना, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, सीईओ जिला पंचायत एसडीएम अभिषेक गहलोत, डिप्टी कलेक्टर सुश्री शिराली जैन, मेडिकल कॉलेज डीन डॉ. जितेंद्र गुप्ता, डॉ. आनंद चंदेलकर, निगमायुक्त सोमनाथ झारिया,सिद्दीक हुसैन चौधरी, मनोहर पोरवाल, गोविंद काकानी, महेंद्र कटारिया आदि उपस्थित थे। बैठक में मंत्री श्री यादव ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के निर्देशानुसार शहर में नगर निगम के चार जोन में हितग्राहियों से आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करवाई जाकर उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। सांसद सुधीर गुप्ता ने फंगल इंफेक्शन संबंधी उपचार चिकित्सालय में उपलब्ध कराने तथा सांसद अनिल फिरोजिया ने ताल, आलोट क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सक की उपलब्धता सुनिश्चित करने, लॉकडाउन का एज. एरिया में 50 अतिरिक्त ऑक्सीजन बेड उपलब्ध कराए जाएं जिससे यहां आने वाले मरीजों के लिए अतिरिक्त भर्ती सुविधा मिले, उनका उपचार हो सके। साथ ही जिला चिकित्सालय एवं अन्य स्थानों पर भी अतिरिक्त रूप से भर्ती सुविधा मुहैया हो सके जिस पर मंत्री श्री यादव ने स्वीकृति देते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन बेड संख्या में वृद्धि की जा रही है। विधायक डॉ. राजेंद्र पांडे ने भी कोविड-मरीजों के उपचार के संबंध में ऑक्सीजन बेड, मेडिकल स्टाफ उपलब्धता की बात कही। बैठक में मंत्री श्री यादव ने पूर्व बैठक में लिए गए निर्णय से ऑनलाइन

12

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने पर कार्रवाई करें- कलेक्टर

रतलाम | किसी भी दुकान, प्रतिष्ठान, नर्सिंग होम, मेडिकल दुकान पर बिना सोशल डिस्टेंसिंग के भीड़ खड़ी दिखाई दे तो उनके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 एवं महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। यह निर्देश कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी रतलाम एवं औषधि निरीक्षक को दिए हैं। आदेश में कलेक्टर ने कहा है कि दवाई दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। प्राइवेट क्लीनिक और नर्सिंग होम में भी अत्यधिक भीड़ लगी रहती है। इनसे कोरोना नियमों का उल्लंघन हो रहा है। इस पर तत्काल रोक लगाई जाना चाहिए।

कोरोना कर्फ्यू की नई गाइडलाइन

चार पहिया 6 वाहनों से फल व 2 से सब्जी हर थाना क्षेत्र में बिकेगी

भास्कर संवाददाता | रतलाम

अब शहर में फलों की होम डिलीवरी सिर्फ 6 वाहन और सब्जी की प्रत्येक थाना क्षेत्र में दो वाहनों से होगी। 25 मई तक चलने वाले कोरोना कर्फ्यू को लेकर शुक्रवार को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। बैंक, राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर निगम व पालिका, रेलवे, बैंक आदि चालू रहेंगे। उठावना, पगड़ी, वैवाहिक कार्यक्रमों के साथ निजी निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग माल, शराब और भांग दुकानें भी बंद रहेंगी। जिला कोविड प्रभारी व उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया है।

यह रहेगी कोरोना कर्फ्यू की व्यवस्था

- ☑ **मेडिकल व आयुर्वेदिक दुकानें** - सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। सरकारी और निजी अस्पतालों के 100 मीटर के अंदर आने वाली दुकानें 24 घंटे खुलेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में खुली रहेंगी।
- ☑ **फल** - सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक होम डिलीवरी होगी। नगर निगम रतलाम में 6 वाहन, परमिशन एसडीएम देंगे। दो पहिया वाहन पर फल वितरण नहीं होगा।
- ☑ **सब्जी** - विक्रेता होम डिलीवरी सुबह 11 से शाम 5 बजे तक कर सकेंगे। प्रत्येक थाना क्षेत्र में दो चार पहिया वाहन की अनुमति रहेगी। दो पहिया पर वितरण नहीं कर सकेंगे।
- ☑ **किराना** - दुकानें खोलने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक केवल होम डिलीवरी कर सकेंगे। थोक व्यापारी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे के बीच लोडिंग-अनलोडिंग कर सकेंगे।
- ☑ **दूध** - प्रातः 6 से 9 बजे तक व शाम 4 से 7 बजे तक बांट सकेंगे।
- ☑ **टीकाकरण** - नागरिकों को वैक्सीनेशन केंद्र तक और कर्मचारियों को छूट रहेगी।
- ☑ **गैस सिलेंडर** - एजेंसी सिलेंडर घर-घर पहुंचाजाएगी। उपभोक्ता एजेंसी पर नहीं जा सकेंगे।
- ☑ **उद्योग** - चालू रहेंगे।

15-5-2021

लॉकडाउन का उल्लंघन : 14 व्यवसायियों पर प्रकरण दर्ज

बिना मास्क घूम रहे 136 लोगों पर केस दर्ज

भास्कर संवाददाता | रतलाम

लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर पुलिस ने 14 व्यवसायियों के खिलाफ जिला दंडाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने की धारा में प्रकरण दर्ज कर किया है। जानकारी के अनुसार सैलाना में 9 तथा रतलाम में 5 प्रकरण दर्ज हुए हैं। अकारण घूम रहे 36 लोगों के खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई कर अस्थायी जेल भेजा। शहर में बगैर मास्क के घूम रहे 136 लोगों के चालान बनाकर शमन शुल्क वसूला तथा 129 लोगों के मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान बनाए।

जानकारी के अनुसार सैलाना में सदर बाजार के कपड़ा व्यवसायी शुभम पिता जगदीश सोलंकी, शुभम पिता महेंद्र जैन, जगदीश पिता भागीरथ सोलंकी, महेंद्र पिता शांतिलाल जैन तथा आकाश पिता वर्धमान जैन के खिलाफ, जूता चप्पल व्यवसायी अली असगर पिता फकरुद्दीन बोहरा निवासी सदर बाजार और किराना व्यवसायी जूनावास निवासी किशोरदास पिता प्रेमदास के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। सैलाना के पास भीलों की खेड़ी में शादी का कार्यक्रम आयोजित करने पर रामलाल फारसी तथा गिरधारीलाल डामोर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

रतलाम में लक्कड़पीठा क्षेत्र में ज्यूस की दो दुकानों में ग्राहकों की भीड़ मिलने पर सुमित पिता हितेश राठौड़ तथा सुरेश पिता गेंदालाल राठौड़ के खिलाफ, फेरी लगाकर समोसा-कचौरी बेचने पर मराठों का वास निवासी दीपक पिता बाबूलाल सुराना निवासी मराठों का पास और भूपेंद्र पिता मोहनलाल पालीवाल निवासी तोपखाना के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। इसी प्रकार मटन की दो दुकान खुली मिलने पर कुरैशी मंडी निवासी अब्दुल गफ्फार पिता अब्दुल सत्तार व जफर पिता फारुक कुरैशी तथा तुलसीराम पिता हरिराम प्रजापत निवासी ओसवाल नगर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

15-5-2021

आपदा प्रबंधन के साथ ही धारा 188 की कार्रवाई

सैलाना और रतलाम शहर में 14 दुकानदारों पर प्रकरण किए दर्ज

रतलाम. प्रशासन की पहल पर सैलाना के नौ दुकानदारों पर न केवल धारा 188 की कार्रवाई की गई वरन उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत भी केस दर्ज किए गए हैं। इसी तरह माणकचौक पुलिस ने भी पांच दुकानदारों पर धारा 188 के अंतर्गत केस दर्ज किए हैं।

थाना सैलाना अंतर्गत शुभम सोलंकी निवासी सदर बाजार, आली असगर बोहरा निवासी सदर बाजार, शुभाम जैन निवासी पैलेस चौराहा, जगदीश सोलंकी निवासी सदर बाजार, महेंद्र पिता शांतिलाल जैन निवासी पैलेस चौराहा सैलाना किशोर बैरागी निवासी जूना वास, आकाश वर्धमान जैन निवासी सदर बाजार, रामलाल फारसी निवासी भीलों की खेडी, गिरधारी लाल डामोर निवासी भीलों की खेड़ी पर धारा 188 के साथ ही आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।

इधर, थाना माणक चौक अंतर्गत अब्दुल गफ्फार पिता अब्दुल सत्तार 50 निवासी 20 कुरैशी मंडी रतलाम अपने कर्मचारी जफर पिता फारूक कुरैशी 32 निवासी कुरेशी मंडी हाउस रोड रतलाम तथा तुलसीराम पिता हरी राम प्रजापत 40 निवासी ओसवाल ने मटन की दुकान खोलकर विक्रय किया। सुमित पिता नितेश राठौर 21 निवासी 135 लक्कड़पीठा राठौर जूस सेंटर नाम की दुकान खोली, दीपक पिता बाबूलाल सुराणा 30 निवासी राम भवन के पीछे मराठों का वास रतलाम क्षेत्र में घूम फिर कर समोसे कचोरी बेचते हुए पाया गया। सुरेश राठौर 30 निवासी 135 लक्कड़पीठा रोड राठौर जूस सेंटर खोलकर लोगों की भीड़ एकत्रित कर कोल्डिंक्स एवं जूस बेचते हुए पाया गया। भूपेंद्र पालीवाल 36 निवासी तोपखाना गौशाला रोड क्षेत्र में घूम फिर कर कचोरी बेचते हुए पाया गया। उसके इस तरह लॉक डाउन का उल्लंघन करने पर थाना माणक चौक में धारा 188 में केस पंजीबद्ध किया गया।

वहीं, लॉक डाउन में बिना किसी वजह बाहर घूमने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 36 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाकर अस्थाई जेल में निरुद्ध किया गया। मास्क का उपयोग न करने वालों के विरुद्ध 136 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए समन शुल्क वसूला गया है एवं मास्क का वितरण भी किया गया। 129 व्यक्तियों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। साथ बिना कारण बाहर घूमने वालों के वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

15-5-2021

कोरोना कंट्रोल में रतलाम 100% नाकाम

होम आइसोलेशन की कमजो
अपराध : डाटा मैनेजमें
सच्चाई : कोरोना 2.0 ग
नतीजा : 15600 पॉजि

भास्कर इनडेप्थ रिपोर्ट

विकल्प मेहता| रतलाम. रतलाम में कोरोना संक्रमण बेलगाम है... दूसरी लहर (13 मार्च) से र पॉजिटिव जीरो हो गए। निजी क्लिनिकों पर एचआरसीटी के बलबूते इलाज हुआ, होम आइसो पॉजिटिव सामने आ गए, वहीं 176 मौत हो गई। इन लापरवाहियों की चर्चा पूरे प्रदेश स्तर पर

कोरोना बेकाबू क्योंकि.... अफसरों का प्लान फेल, शहर से गांव तक संक्रमण

1. सीटी स्कैन से इलाज : पॉजिटिव रिपोर्ट से बचाने का दावा कर सिर्फ एचआरसीटी के बलबूते कुछ डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। सीटी स्कैन में संक्रमण आने वालों पर सख्ती भी नहीं है। वे बेखौफ संक्रमण फैला रहे। कोई कार्रवाई तक नहीं।

2. ग्रामीण : 9 अप्रैल को जिले में लॉकडाउन लगा, तब एक दिन में 144 पॉजिटिव मिले। लेकिन ग्रामीण को शुक्र 6 बजे से सुबह 10 बजे सामग्री खरीदने की छूट दी, ग्रामीण बेधड़क आए व संक्रमण फैला।

3. होम आइसोलेशन : जिले में 2 हजार से ज्यादा लोग होम आइसोलेशन में हैं। जनता नगर के एक परिवार में एक बालिका 10 मई को पॉजिटिव आई। 03 दिन तक दवा देने नहीं पहुंची। कंट्रोल रूम नंबर पर फोन नहीं लग रहा।

4. सख्ती : लॉकडाउन में पुलिस पूछताछ कर रही थी। कई लोग बेखौफ घूम रहे। वहीं, कलेक्टर गोपालचंद्र डाड के तबादले के दिन ही एक्शन में आई, डंडे चलाए।

5. दवा : सर्दी, खांसी और बुखार की दवा के लिए मेडिकल स्टोर को छूट है। जबकि पहली लहर में अक्टूबर तक ये दवा लेने के लिए मेडिकल संचालक को नाम, पता लेना होता था। कंट्रोल रूम से फोन आता था। अब यह सिस्टम बंद है।

6. सैंपल : रतलाम में 1 अप्रैल से अब तक 46211 लोगों के सैंपल लिए। लोग सही पते नहीं लिखवा रहे। दवा किट वितरण के दौरान पता और नंबर गलत निकल रहा है। यानी संक्रमित घूम रहा है।

- कुल 1799 बेड, इनमें से 711 खाली हैं। शहर में1243 बेड पॉजिटिव मरीज के लिए
- मेडिकल कॉलेज में 550 बेड, 56 और ऑक्सीजन के 180 बे

बाजार लॉक.. ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र पर रेफर के बजाए... इलाज हो-

एक्सपर्ट व्यू

- बाजार बंद है, अब घरों से संक्रमण ज्यादा फैल रहा है। सभी जिलों में पूरा परिवार इन्फेक्ट हो रहा है। लेकिन, अब तक ज्यादातर घर में सिर्फ मरीज ही मास्क पहन रहा है, अन्य लोग बेखौफ हैं। बाद में वे भी संक्रमित निकल रहे। इस तरफ ध्यान देना होगा।
- होम आइसोलेशन की अनुमति दे रहे हैं... ये अच्छा भी है लेकिन घरों का वेंटिलेशन देखना होगा। मतलब हवादार कमरे हों, धूप आ सके। इससे परिवार संक्रमित होने से बचेगा।
- सख्त मॉनिटरिंग... रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मरीज को होम आइसोलेशन दे दिया, लेकिन कई जगह सख्त मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही। इसे सुधारना बहुत जरूरी है।
- अब ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण बढ़ रहा है, इसके लिए ब्लॉक स्तर पर काम होना चाहिए। सीएचसी और पीएचसी से सीधे मरीज को हायर सेंटर पर रेफर कर रहे हैं, जबकि, वहां इलाज होना चाहिए ताकि वहीं केस मैनेज हो जाए।

(जैसा - इंदौर एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. संजय दीक्षित ने दैनिक भास्कर से कहा)

बेवकूफी : डोज के साथ संक्रमण हाजिर है...

यह तस्वीर लायंस हॉल की है जब 03 मई को पॉजिटिव 350 निकले थे तब डोज लगवाने में डिस्टेंसिंग नहीं थी।

पुलिस और प्रशासन कभी सख्त रहा... तो कभी भूला कार्रवाई.. धारा 188 में 223 केस

- शुरुआती दिनों में पुलिस और प्रशासन ने ओपन जेल बनाई थी, 1 अप्रैल से अब तक 2087 लोगों को ओपन जेल में रखा गया।
- बिना मास्क के घूमने वाले 7804 लोगों पर जुर्माना लगाया, इससे 8,09,000 की राशि मिली
- 1 अप्रैल से अब तक धारा 151 में 1152 लोगों पर प्रकरण हुए।
- धारा 188 में 223 केस बनाए गए, जिसमें 298 आरोपी थे।

दूसरी लहर ज्यादा मौत रतलाम में -

शहर	कुल केस	मौत
रतलाम	8332	133
उज्जैन	8744	38
मंदसौर	3944	30
नीमच	3419	44
धार	6129	48

संक्रमण का बढ़ता ग्राफ- हमारे शहर में औसत संक्रमण

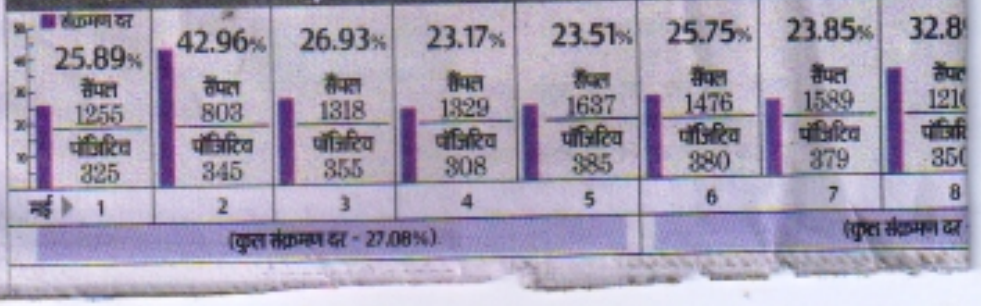

14 और इलाकों को बनाया कंटेनमेंट, अब शहर में 55

भास्कर संवाददाता | रतलाम

संक्रमण पर नियंत्रण के लिए शहर में तेजी से कंटेनमेंट एरिया बनाए जा रहे हैं। पॉजिटिव मिलने के बाद शुक्रवार को 14 और इलाकों में कंटेनमेंट बनाए गए। इस तरह पांच दिन में अब तक 55 क्षेत्रों में कंटेनमेंट बनाए गए। कंटेनमेंट क्षेत्र तोड़ने वालों पर अब सीधे पुलिस प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

टाटा नगर, बालाजी नगर, धायरिया बाजार, वेदव्यास कॉलोनी, देवनारायण नगर, जवाहर नगर, मोहन नगर, आदर्श नगर गली नंबर 3, सुनाना ड्रीम होम्स सुमंगल गार्डन के पास, कस्तूरबा नगर, शास्त्री नगर राजपूत बोर्डिंग के पास, महेश नगर को कंटेनमेंट बनाया गया।

सिलावटों का वास में एसडीएम ने उठाया डंडा

सिलावटों का वास में कंटेनमेंट बनाने का विरोध कर रहे लोगों को समझाने के लिए एसडीएम अभिषेक गेहलोत को डंडा उठाना पड़ा। सीएसपी और पुलिस जवानों ने भी डंडे से लोगों को घर भेजा। सिलावटों का वास की इस गली में चार संक्रमित मिले हैं और दो व्यक्ति की मौत हो चुकी है। मरने वालों में से एक कोरोना संक्रमित है। कंटेनमेंट एरिया बनाने गए नायब तहसीलदार नवीन गर्ग की टीम को स्थानीय लोगों ने रोका। राजस्व विभाग की टीम के साथ चीता फोर्स के जवान भी थे। इस दौरान यह स्थिति बनी तो डंडे चलाना पड़े।

15-5-2021

संक्रमण चेन तोड़ने के लिए

शहर में बन रहे हैं कनटेनमेंट क्षेत्र

रतलाम। कोविड-19 कोरोना संक्रमण की रोकथाम डोंगरे नगर, मोहन नगर, अलकापुरी अम्बे चौक के पास,

सीएम का दौरा टला, 20 मई को आने की उम्मीद

बढ़ते कोरोना पर नियंत्रण के लिए विशेष रणनीति बनाने आने वाले थे

भास्कर संवाददाता | रतलाम

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 15 मई का दौरा टल गया है। अभी आगामी तारीख तो तय नहीं हुई है लेकिन सीएम 20 मई को यहां आ सकते हैं। जिले में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमण और डेथ रेट से चिंतित मुख्यमंत्री ने खुद मंगलवार दोपहर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विशेष रणनीति बनाने के लिए रतलाम आने की जानकारी दी थी।

कुछ और अफसरों को बदलने की तैयारी, 25 दिन में हो चुके तीन बड़े बदलाव -कोरोना को काबू करने की

दौरा टलने के पीछे ये भी कारण

- कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम होती जा रही है।
- मेडिकल कॉलेज और ब्लॉक स्तर पर ऑक्सीजन बेड की तैयारी तेज चल रही है।
- शहर विधायक चेतन्य काश्यप और ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना के परिवार में संक्रमित होने से फिलहाल होम क्वारैंटाइन हैं।

नाकामी की गाज कुछ और अफसरों पर गिर सकती है। व्यवस्थाओं को लेकर राजधानी के अधिकारी प्रशासन, पुलिस के कुछ अफसरों से खासे नाराज चल रहे हैं। मुख्यमंत्री के रतलाम दौरे के दौरान एक-दो अफसरों पर कार्रवाई हो सकती है।

15-5-2021

इंतजार कोरोना संक्रमण रोकने के लिए किए इंतजामों की समीक्षा करेंगे

आगे बढ़ा दौरा, अब 20 मई को आ सकते हैं मुख्यमंत्री

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान का जिले में शनिवार को होने वाला संभावित दौरा आगे बढ़ गया है। अब उनके 20 मई को रतलाम आने की संभावना है।

मालूम हो कि जिले में कोरोना की संक्रमण दर व मौत बढ़ने से सीएम नाराज हैं। इसके चलते सात मई को तत्कालीन कलेक्टर गोपालचंद्र को हटाकर कुमार पुरुषोत्तम की पदस्थापना की गई थी। इसके बाद 11 मई को वीडियो कांफ्रेंसिंग में सीएम ने रतलाम आकर समीक्षा करने की बात कही थी। 15 मई को सीएम का दौरा होने की संभावना थी, जिसके चलते प्रशासनिक स्तर पर तैयारी तेज कर दी गई थी।

हालांकि आठ मई को सर्वाधिक 398 मरीज मिलने के बाद लगातार संख्या कम हो रही है, लेकिन मौतों में कमी नहीं आई है। औसत पांच मौत प्रतिदिन हो रही है। यही आंकड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। अब जिला अस्पताल में 85 आक्सीजन बेड बढ़ाने के साथ ही जिले के चार कोविड केयर सेंटर पर भी 75 आक्सीजन बेड के लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं। शुक्रवार को सीएम का दौरा आगे बढ़ने की जानकारी मिलने के बाद अब प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग का अमला 20 मई तक सबकुछ बेहतर करने में जुट गया है।

निशुल्क सिलिंडर उपलब्ध करवा रही जनसहयोग समिति

भानपुरा। भानपुरा जनसहयोग समिति कोरोनाकाल में आक्सीजन सिलिंडर निशुल्क उपलब्ध करा रही है। समिति ने छह आक्सीजन सिलिंडर उपलब्ध कराए। चार ऑक्सीजन सिलिंडर सत्यनारायण फरक्या चैरिटिबल ट्रस्ट ने समिति को प्रदान किए। दस सिलिंडर से लगातार जरुरतमंद को सुविधा दी जा रही है। प्रतिदिन सिलिंडर को भराने शाजापुर भेजा जाता है और जरुरतमंद को समिति उपलब्ध करा देती है। इस कार्य में अभिषेक सोनू टोंग्या, मनीष फरक्या, प्रदीप मित्तल, ललित जैन, शेखर वधवा सहित समिति के अन्य सदस्य अपनी सेवाएं दे रहे हैं। समिति के इन कार्यों के लिए उसकी सराहना की जा रही है। साथ ही अन्य लोग भी प्रेरणा ले रहे हैं।

15-5-2021